

कार्यालय कलेक्टर, जिला— बीजापुर (छ.ग.)

— संशोधित निविदा —

क्रमांक / 102 / कले. / स्था. / वाहन शाखा / 2019,

बीजापुर, दिनांक 25/02/2019

॥ शासकीय वाहनों के नीलामी हेतु संशोधित निविदा सूचना ॥

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर बीजापुर के निम्नानुसार पुराने अपलेखित शासकीय वाहनों का निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है।

अ. कं.	वाहन का क्रमांक	वाहन का मॉडल नं.	वाहन का प्रकार एवं पी.ओ.एल.	अफसेट राशि	धरोहर राशि (रु. में)	टीप
1	2	3	4	5	6	7
1	सी0जी0 02 / 8558	2007	एम्बेसडर कार (पेट्रोल)	20000.00	15,000.00 (पंद्रह हजार रुपये मात्र)	प्रथम निविदा आमंत्रण
2	सी0जी0 02 / 8338	2008	बोलेरो LX (डीजल)	40000.00		
3	सी0जी0 02 / 6556	2008	बोलेरो LX (डीजल)	140000.00		
4	सी0जी0 02 / 3881	2007	बोलेरो DI (डीजल)	50000.00		
5	सी0जी0 02 / 3880	2008	बोलेरो DI (डीजल)	80000.00		
6	सी0जी0 02 / 3884	2008	Tata Spacio (डीजल)	80000.00		
7	सी0जी0 02 / 3882	2008	Tata Spacio (डीजल)	80000.00		

नियम/शर्तें :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में "कलेक्टर बीजापुर" को संबोधित कर भेजी जावेगी। लिफाफे के उपर "वाहन क्रमांक हेतु निविदा" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
2. निविदाकार को निविदा के साथ धरोहर राशि 15,000.00 (शब्दों में पंद्रह हजार रुपये मात्र) बैंक टी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कलेक्टर बीजापुर के नाम से देय हो जो जिला नाजिर शाखा के पास जमा किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी निविदा नहीं खोली जावेगी। निविदा स्वीकृत नहीं होने की दशा में धरोहर राशि वापसी योग्य होगी। निविदा प्रपत्र एवं धरोहर राशि पृथक-पृथक लिफाफे में भेजा जावे।
3. वाहन जहां पर जैसा हालत में है वहीं से उठाना होगा। निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा। राशि अंकन में किसी प्रकार का काट-छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगा।

4. जिस निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जावेगी, उन्हें निविदा की संपूर्ण राशि सूचना प्राप्ति के सात दिवस के अंदर जमा कर वाहन उठाना अनिवार्य होगा। अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।
5. सर्शत निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी। निविदा को अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर को होगा। जिसके लिए किसी प्रकार का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
6. मुहरबंद निविदा दिनांक 15/03/2019 को दोहपर 3.30 बजे तक नाजिर शाखा जिला कार्यालय बीजापुर में जमा कराई जा सकेगी।
7. नियत समय तक प्राप्त निविदाएं दिनांक 15/03/2019 को सांय 5.00 बजे से कलेक्टर कार्यालय बीजापुर में खोली जावेगी। निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
8. निर्वर्तन हेतु प्रस्तावित वाहन शासकीय कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सांय 05.00 बजे तक देखा जा सकता है।

कलेक्टर

जिला- बीजापुर
बीजापुर, दिनांक 25/02/2019

पृ.क्रमांक/ 102A /कले./स्था./वाहन शाखा/2019,
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर (सर्व जिला) छ.ग. को सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क कार्यालय, बीजापुर को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी **NIC** बीजापुर को सूचनार्थ, जिला कार्यालय बीजापुर के वेब-साईड मे अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी जिला नाजिर शाखा जिला कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ।
7. सर्व विभाग प्रमुख, जिला बीजापुर को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा कर प्रकाशन हेतु प्रेषित।
8. मालजमादार, जिला कार्यालय बीजापुर को सूचनार्थ, कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करे।

कलेक्टर

जिला-बीजापुर